

587

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. पा०(43)नविवि/३/२००९पा०

जयपुर दिनांक- १८ FEB 2016

जादेश

विभाग द्वारा दाउनरिप पांडिली। 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गेर कृषि नियोजनार्थ अनुदान एवं जावंटन) नियम। 2012 में संशोधन हेतु जारी आदेश क्र. पा० 3(43)नविवि/३/२००९पा० दिनांक 12.08.2015 के किन्तु संख्या 'ब' का सदाचार रत्तीकृति के सामान्त निम्नानुसार आंशिक संशोधन दिया जाता है :-

विन्दु सं. 'ब' - प्रस्तावित स्थल उपरोक्त 'अ' में वांछित न्यूनतम पाहुंच मार्ग मार्टर प्लान/सेक्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क रो प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम घडुन मार्ग 12 मीटर आवश्यक होगा तथा मार्टर प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित गार्गाधिकार सुनिश्चित करने हेतु आवेदक से गार्गाधिकार में आने वाली भूमि नियुक्त समर्पित करायी जावेगी।

पूर्व में जारी आदेश दिनांक 12.08.2015 के किन्तु संख्या 'अ' व 'स' यथावत रहेंगे।

मेर
(अग्रजीत प्रसिंह मौंगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतीलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पिशिर संगीत, माननीय मंडी महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, रवायत्त शासन पिंडा, जयपुर।
4. आपुवा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, रधानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. भूम्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समरत।
9. रहित पत्रावली।

मेर
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय
लाभा

Orders/Charters